

SCMS
2020/00065
08/02/2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. रमेश

हलका भूक वगतीष्टे

पुत्र श्री. मीरवाहन जाति रानांजी

निवासी भूक वगतीष्टे

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 6.2 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूक वगतीष्टे ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूक वगतीष्टे के खसरा नंबर 27/3 रकबा 800 वर्ग फीट किस्म भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पैगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारे है। पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	रमेश
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय पाटा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	केशव

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई/गैर साफल्य की तरफ से उनके वकील ने आविष्टी होकर जवाब देना समझाया और दीक्षा लेकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई/पीठरीग अधिकारी भाण उभुष्टी पर सिमाना पचारे है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई/ गैर साफल्य अनुपाष्टि/ गैर साफल्य को जवाब देना अधिक अवलर दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई/ गैर साफल्य अनुपाष्टि/ गैर साफल्य को जवाब देना कर अवलर दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किसे गैर साफल्य को भाणिकी मानते हुए पत्रावली फैलल सुगार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शिष्टिल पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुगार होकर दारिजिल इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर